

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक 01/11/19

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषय:-नवसृजित 2 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय,
दातारामगढ़ जिला सीकर एवं गंगापूर जिला भीलवाड़ा हेतु
आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ:- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक
01.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना
दिनांक 01.11.2019 द्वारा सृजित 2 अपर जिला न्यायाधीश
न्यायालय, दातारामगढ़ जिला सीकर एवं गंगापूर जिला भीलवाड़ा हेतु
निम्नलिखित पद सृजित करने की माननीय राज्यपाल महोदय की
स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैण्ड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मैट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	-	-	-	1 पद	2
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	9300-34800	PB-II/L-12/4800	44300	1 पद	2
3	शेरिश्लेदार ग्रेड-1	9300-34800	PB-II/L-11/4200	37800	1 पद	2
4	रीडर ग्रेड-1	9300-34800	PB-II/L-11/4200	37800	1 पद	2
5	सूचना सहायक	5200-20200	PB-I/L-8/2800	26300	1 पद	2
6	लिपिक ग्रेड-1	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	5 पद	10
7	प्रोसेस सर्वर	5200-20200	PB-I/L-4/2000	19200	4 पद	8
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	4 पद	8
	कुल				18 पद	36

उक्त न्यायालयों हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है:-

क.स.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
	योग	5.57

उक्त नवीन आईटम्स कय करते समय तत्संबंधी नियमों/ निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त न्यायालयों के भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स संबंधित बजट मद 2014-00-105-(19)-[01] (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान में विभाग के पास पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। किसी बजट मद में अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होने पर संशोधित अनुमान 2019-20 में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालयों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 101904398 दिनांक 10.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

9/11/19

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव